

डेटा प्रॉसेसिंग पर जानकारी के

“लोकल आइडेंडिटी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री (IDR)”

जेनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेगुलेशन (DSGVO) के अनुच्छेद 13 तथा 14 के अनुरूप

कंट्रोलर के नाम तथा संपर्क विवरण:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (इमिग्रेशन व असाइलम का फेडरल ऑफिस)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien

फोन: +43- 59 133 98 7004

फैक्स: +43- 59 133 98 7399

फैक्स: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at

डेटा प्रॉटेक्शन ऑफिसर के संपर्क विवरण:

फोन: +43- 59 133 98 - 0

ईमेल: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at

प्रॉसेसिंग का उद्देश्य जिसके लिए निजी डेटा लक्षित होते हैं:

आइडी कार्ड जारी करने के लिए लोकल रिकॉर्ड्स और साथ आडी कार्ड डेटा का रिकॉर्ड रखना

प्रॉसेसिंग के लिए कानूनी आधार:

पासपोर्ट ऐक्ट का अनुच्छेद 3, 16, 22a, फेडरल लॉ गजट नं 839/1992 जैसा कि पासपोर्ट ऐक्ट इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन (PassG-DV) के साथ संशोधित किया गया, फेडरल लॉ गजट II नं. 223/2006 जैसा कि पासपोर्ट डिक्री (PassV) के साथ संशोधित किया गया, फेडरल लॉ गजट न. 861/1995 जैसा कि ई-गवर्नमेंट ऐक्ट के साथ संशोधित किया गया (E-GovG), फेडरल लॉ गजट I नं. 10/2004 जैसा कि SourcePIN रजिस्टर रेगुलेशन (StZReg) के साथ संशोधित किया गया, फेडरल लॉ गजट II नं. 57/2005 जैसा कि संशोधित किया गया

वह अवधि जिसके लिए निजी डेटा को भंडारित किया जाएगा:

प्रॉसीडिंग्स से जुड़े डेटा को उसी समय डिलीट कर दिया जाएगा जैसे की उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, हालांकि ऐसा किसी पासपोर्ट को जारी करने के फैसले को पारित करने के 10 वर्ष के बाद की किया जाएगा। प्रस्तुत सर्टिफिकेट्स के डेटा को पासपोर्ट के लिए किसी आइडेंटिटी कार्ड के अवैध करार दिए जाने के एक वर्ष बाद डिलीट कर दिया जाएगा - जो पासपोर्ट की वैधता के समाप्त होने के कम से कम 6 वर्ष बाद होगा। ऐप्लिकेशन डेटा को वैध निकासी के साथ या ऐसी कार्यवाहियों के कानूनी रूप से बाध्य समापन के बाद जारी कार्यवाहियों के कानूनी रूप से बाध्य ऐसे एनोटेशन की अस्वीकृति के साथ डिलीट कर दिया जाएगा। पासपोर्ट तथा आइडेंटिटी कार्ड को अवैध करार दिए जाने के एक वर्ष के बाद डिलीट कर दिया जाएगा, हालांकि अंतिम वैधता अवधि के समाप्त होने के 6 वर्षों के बाद नहीं हो। गुम हुए या ऐलिएनेटेड पासपोर्ट के डेटा को उनकी अंतिम वैधता अवधि के समाप्त होने के 6 वर्षों के बाद डिलीट कर दिया जाएगा; गुम हुए या ऐलिएनेटेड पासपोर्ट के डेटा के विकल्पों को उनकी वैधता समाप्त होने के एक वर्ष बाद डिलीट कर दिया जाएगा। पासपोर्ट ऐक्ट के अनुच्छेद 22a, सेक्शन 1, आइटम k के अनुरूप डेटा को ऐसे दस्तावेज को भेजने (पासपोर्ट ऐक्ट के अनुच्छेद 3, सेक्शन 6) के दो महीने से पहले डिलीट किया जाएगा और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ़ यूरोप, इंटीग्रेशन एंड फॉरेन अफेयर्स की भागीदारी के साथ भेजने के चार महीनों से पहले डिलीट किया जाएगा, अन्यथा आवेदन को कानूनी रूप से बाध्य अस्वीकृति या निरस्तीकरण वाला वैध निकासी का सामना करना पड़ेगा।

निजी डेटा के प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियां:

स्थानीयरूप से योग्य अन्य पासपोर्ट प्राधिकार; सुरक्षा एजेंसियां; ई-गवर्नमेंट ऐक्ट में वर्णित योग्यता वाला सोर्सिपिन रजिस्ट्री ऑथरिटी

प्रॉसेसर्स: IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.; Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH.; Österreichische Staatsdruckerei GmbH

डेटा के अधिकार इनके अधीन होते हैं:

ऑसिप्टप्रयन डेटा परपॅटेकप्शन ऑथोरिटी (1030 Wien, Barichgasse 40-42, फोन +43 1 52 152-0, email dsb@dsb.gv.at) में डेटा परपॅटेकप्शन ऐक्ट (DSG) के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 24 के अनुरूप शिकायत दर्ज करने का अधिकार लागू होता है।

एक्सेस करने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 15 में वर्णित है।

सुधारने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 16 में वर्णित है।

मिटाने ('भुला दिए जाने का अधिकार') का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 17 में वर्णित है।

DSGVO के अनुच्छेद 21 के अनुरूप आपत्ति करने का कोई अधिकार और DSGVO के अनुच्छेद 18 के अनुरूप डेटा प्रॉसेसिंग को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार लागू नहीं होता।